फर्द अहकाम

(नियम 16)

अज	अदालत	जिला कलक्टर	मुकाम	धौलपुर
बैंक ऑफ बडौदा, धौलपुर		बनाम		मैसर्स मंजू श्री इण्डस्ट्रीज

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 07 सन् 2024

GCMS No. 2024 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
~~12.24~~ 15/05/24	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री धीरज कुमार सिंह प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडौदा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1.मैसर्स मंजू श्री इण्डस्ट्रीज (प्रोपराइटर–श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नि श्री ओमप्रकाश मंगल) पता – (1) प्लॉट न0 जी 1–212, रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर पता – (2) कमला कॉलेज के पास, गिर्राज कोलोनी धौलपुर। गारन्टर 1. श्री गौरव मंगल पुत्र श्री ओमप्रकाश मंगल पता– कमला कॉलेज के पास, गिर्राज कॉलोनी धौलपुर के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 21.05.2022 को रूपये 8000000 (अस्सी लाख) टर्म लोन तथा रूपये 20 लाख कैश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लिमिट लोन का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश मंगल की प्लॉट न0 जी 1–212, रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेन्शन धौलपुर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्टस, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवल, सिक्योरिटी, एसेसरीज, मशीनरी एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 21.05.2022 में परिभाषित) ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 22.09.2023 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 26.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 8358640.36/– दिनांक 25.09.2023 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज	

रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पति श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश मंगल की प्लॉट न0 जी 1–212, रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेन्शन धौलपुर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्टस, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवल, सिक्योरिटी, एसेसरीज, मशीनरी एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 21.05.2022 में परिभाषित) जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 15/05/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,